न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा

पीठासीन अधिकारी	::	सुयश, आर.जे.एस.
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	::	23 / 107 / 2016
सी.आई.एस. संख्या	::	2160 / 2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	::	272 / 2015, थाना मुण्डावर
सीएनआर संख्या	::	RJKA120000442016

राजस्थान राज्य, जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी ———अभियोगी

बनाम

01. सुब्बा उर्फ सुबेदार उर्फ पड्डा पुत्र श्री जमालू मेव निवासी बालियावास थाना तिजारा, **(मफरूर दिनांक 13.04.2016)**

02. मौसमदीन पुत्र श्री आसीन मेव निवासी घैर बसई थाना तिजारा, जिला खैरथल–तिजारा,

03. अजरूदीन उर्फ अज्जु पुत्र श्री ईस्लाम मेव निवासी उटावड थाना हथीन जिला पलवल, हरियाणा, **(मफरूर दिनांक 18.09.2019)**

04. आरिफ उर्फ छोटल्ली पुत्र हारून उर्फ मुछल निवासी कोट थाना बहीन जिला पलवल, हरियाणा, **(मफरूर दिनांक 13.04.2026)**

05. याद मोहम्मद उर्फ यादु पुत्र रूजदार निवासी उटावड थाना बहीन जिला पलवल, हरियाणा, **(मफरूर दिनांक 13.04.2026)**

06. मुब्बी उर्फ मुबारिक पुत्र ईनाम उर्फ इस्माइल निवासी इस्लाम मोहल्ला उटावड थाना बहीन, जिला पलवल, हरियाणा, **(मफरूर दिनांक 13.04.2026)**

07. हामिद उर्फ हमदुल्ली पुत्र सुलतान निवासी हुसैनपुर जिला नूंह मेवात, हरियाणा **(मृत्यु होने से कार्यवाही दिनांक 16.01.2018 को ड्रॉप की गई)।**

———अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380, भारतीय दण्ड संहिता, 1860

उपस्थिति :–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

2. श्री हंसराज यादव, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त मौसमदीन की ओर से।

—:: निर्णय ::— **दिनांकः 18.06.2026**

01. थानाधिकारी पुलिस थाना, मुण्डावर की ओर से जरिये सहायक लोक अभियोजक अभियुक्तगण सुब्बा उर्फ सुबेदार उर्फ पड्‌डा, अजरूदीन उर्फ अज्जु एवं मौसमदीन के विरूद्ध धारा 457, 380, भारतीय दण्ड संहिता में आरोप—पत्र इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.03.2016 को पेश किया गया, जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. दिनांक 16.01.2018 को अभियुक्तगण याद मोहम्मद उर्फ यादु, मुब्बी उर्फ मुबारिक, आरिफ उर्फ छोटल्ली एवं हामिद उर्फ हमदुल्ली के विरूद्ध आरोप—पत्र प्रस्तुत किया गया। इस निर्णय के माध्यम से प्रकरण का अभियुक्त मौसमदीन की हद तक निस्तारण किया जा रहा है।

03. प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि जय दुर्गे मोबाइल के नाम से उसकी दुकान कस्बा सोडावास थाना मुण्डावर में है, जिसमें वह नये मोबाइल बिक्री का काम करता है। दिनांक 20.09.15 की रात को अज्ञात चोर दुकान की शटर तोडकर निम्न सामान चोरी कर ले गये 1. Nokia mobiles sets-15 pcs, 2. Spices mobiles sets-21 pcs, 3. Rage mobiles sets -96 pcs, 4. Lava mobiles sets-48 pcs, 5. Ball mobiles set-5 pcs, 6. Philips mobiles sets-6 pcs, 7. Inter mobiles sets-16pcs, 8. Mafe mobiles sets-5 pcs, 9. Gieonee mobiles sets-2 pcs, 10. Investes system (Genus) 620 va-1, 11. Computes system with psintes. Com (Dell) psinters (HP), 12. Case-16000, 13. Recharge cupens-3000/-, 14. King bell mobile sets-6 pcs, एवं इसी प्रकार रात कस्बा सोडावास से रॉकी मोबाइल की दुकान उमेश कुमार निवासी सोडावास की दुकान मोबाइल चोरी कर दी जो निम्न से है — 1. MTS mobiles sets-2-, MTS wit-2, 3. Vediocon Mobiles-19, 4. Chanises mobiles-13. 5. LED A.C.U. Comp-1, 6. Nokia Battery -10, 7. Samsung battery-18, 8. Charger youga क-22, 9. Mp 3-7, 10. Memory cards-11, 11- रिपेयर सेट—6, 12. नगद पैसे 3500/— रु. 13. बिल बुक चोरी...............इत्यादि।

04. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, मुण्डावर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 272/2015 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ कर बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा अभियुक्तगण सुब्बा उर्फ सुबेदार उर्फ पड्डा, अजरूदीन उर्फ अज्जु एवं मौसमदीन के विरूद्ध धारा 457, 380, भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित मानकर आरोप–पत्र न्यायालय में दिनांक 09.03.2016 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण सुब्बा उर्फ सुबेदार उर्फ पड्डा, अजरूदीन उर्फ अज्जु एवं मौसमदीन के विरूद्ध धारा 457, 380, भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं दिनांक 16.01.2018 को अभियुक्तगण याद मोहम्मद उर्फ यादु, मुब्बी उर्फ मुबारिक, आरिफ उर्फ छोटल्ली एवं हामिद उर्फ हमदुल्ली के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 16.01.2018 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त याद मोहम्मद उर्फ यादु के विरूद्ध धारा 457, 380, भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में प्रसंज्ञान लिया गया।

05. बहस चार्ज सुनकर अभियुक्तगण अजरूदीन उर्फ अज्जु, मौसमदीन एवं याद मोहम्मद उर्फ यादु को क्रमशः दिनांक 09.03.2016, दिनांक 19.03.2016 एवं दिनांक 03.05.2018 को न्यायालय द्वारा धारा 457, 380, भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिस पर अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार करते हुये अन्वीक्षा चाही।

06. प्रकरण के अन्य अभियुक्त हामिद उर्फ हमदुल्ली की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध दिनांक 16.01.2018 को आपराधिक कार्यवाही ड्रॉप की गई।

07. प्रकरण में अभियुक्तगण सुब्बा उर्फ सुबेदार उर्फ पड्डा एवं अजरूदीन उर्फ अज्जु को क्रमशः दिनांक 13.04.2016 एवं 18.09.2019 तथा अभियुक्तगण आरिफ उर्फ छोटल्ली, याद मोहम्मद उर्फ यादु एवं मुब्बी उर्फ मुबारिक 13.04.2026 को मफरूर घोषित किया गया।

08. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त मौसमदीन के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये हैं :–

गवाह संख्या	गवाह का नाम	गवाह की प्रकृति
पी.ड. 01	चरण सिंह	नक्शामौका घटनास्थल
पी.ड. 02	ताराचंद	नक्शामौका घटनास्थल
पी.ड. 03	चंद्रमोहन	परिवादी, तहरीरी रिपोर्ट, चाक एफआईआर, नक्शामौका घटनास्थल
पी.ड. 04	दयाचंद	नक्शामौका घटनास्थल
पी.ड. 05	राजेन्द्र	नक्शामौका, हालात मौका, फर्द बरामदगी, नक्शामौका बरामदगीस्थल
पी.ड. 06	नरसीराम	फर्द गिरफ्तारी अजरू उर्फ अजरूद्दीन, फर्द बरामदगी, बरामदगीस्थल नक्शामौका
पी.ड. 07	राकेश कुमार	फर्द गिरफ्तारी मौसमदीन एवं सुब्बा उर्फ सूबेदार, फर्द बरामदगी, बरामदगीस्थल नक्शामौका
पी.ड. 08	उमेश	तहरीरी रिपोर्ट, चाक एफआईआर, नक्शामौका
पी.ड. 09	कर्णसिंह	तस्दीक नक्शामौका
पी.ड. 10	रामनिवास	नक्शामौका
पी.ड. 11	दयाचंद	तस्दीक नक्शामौका
पी.ड. 12	धर्मवीर	फर्द जप्ती, बरामदगीस्थल नक्शामौका,
पी.ड. 13	लाभचंद	फर्द गिरफ्तारी मौसमदीन, सुब्बा उर्फ सुबेदार, नक्शामौका बरामदगी, फर्द जप्ती

09. साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त मौसमदीन के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित कराने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया है :–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श
01	प्रदर्श पी 01	नक्शामौका प्रथम
02	प्रदर्श पी 02	तहरीरी रिपोर्ट
03	प्रदर्श पी 03	चाक एफआईआर
04	प्रदर्श पी 04	नक्शामौका द्वितीय
05	प्रदर्श पी 05	फर्द तस्दीक घटनास्थल द्वारा मु. सुब्बा व मौसमदीन

06	प्रदर्श पी 06	फर्द तस्दीक घटनास्थल
07	प्रदर्श पी 07	फर्द बरामदगी/जप्ती दो मोबाईल सेट द्वारा मु. अजरूद्धीन
08	प्रदर्श पी 08	फर्द बरामदगीस्थल
09	प्रदर्श पी 09	फर्द गिरफ्तारी अजरूद्धीन उर्फ अज्जु
10	प्रदर्श पी 10	फर्द बरामदगी/जप्ती मोबाईल सेट नोकिया द्वारा मु. अजरूद्धीन
11	प्रदर्श पी 11	फर्द बरामदगीस्थल
12	प्रदर्श पी 12	फर्द गिरफ्तारी मौसमदीन
13	प्रदर्श पी 13	फर्द गिरफ्तारी सुब्बा उर्फ सुबेदार उर्फ पड्डा
14	प्रदर्श पी 14	फर्द बरामदगी/जप्ती
15	प्रदर्श पी 15	फर्द बरामदगीस्थल
16	प्रदर्श पी 16	फर्द बरामदगी/जप्ती तीन मोबाईल सेट
17	प्रदर्श पी 17	फर्द बरामदगीस्थल
18	प्रदर्श पी 18	तस्दीक घटनास्थल द्वारा मुलजिम अजरूद्धीन

10. न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2026 को अभियुक्त मौसमदीन को ध ारा 313, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुये कथन किया कि पुलिस ने उसके कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। उससे कोई बरामदगी नहीं की एवं उसे झूंठा फंसाया गया है। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य सफाई का प्रकरम बंद किया गया।

11. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अंतिम सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा समस्त साक्षीगण का सुदृढ़ होना बताते हुए अभियुक्त मौसमदीन को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

12. अभियुक्त मौसमदीन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि मौसमदीन की फर्द गिरफतारी में यह अंकित नहीं है कि उसे कहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की दी गई धारा 27 की ईत्तला को प्रदर्शित नहीं कराया गया है, जिससे यह सूचना संदेहास्पद है। यह भी कहा गया कि यदि यह सूचना मुण्डावर थाने पर दी गई तो जप्ती का समय की

सूचना एवं जप्ती में केवल मात्र 15 मिनट का समय बताया गया है, जबकि 15 मिनट में वे घटनास्थल मुण्डावर थाने से सोडावास नहीं पहुंच सकते थे। यह भी कहा गया कि मौसमदीन से केवल एक मोबाईल बरामद किया था एवं उस मोबा. ईल को मौके पर सील नहीं किया गया था, ना ही परिवादी से मोबाईल की पहचान करवाई गई थी। दोनों परिवादिया ने भी यह नहीं कहा है कि बरामद हुआ माल उन्हें दिलाया गया था। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि चोरीशुदा मोबाईल की ही बरामदगी हुई थी। अनुसंधान अधिकारी के बयान लेखबद्ध नहीं कराये गये हैं, ना ही रोजनामचा को प्रदर्शित करवाया गया है। अंत में अभियुक्त मौसमदीन को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया गया। अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये :–

01. 2023(4) CJ(Cri.) (Raj.) 2033
02. 2025(1) CJ(Cri.) (SC) 320

13. उपरोक्त तर्कों पर मनन किया गया व सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदू यह है कि :–

''क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 20.09.2015 की रात को सोडावास में से जयदुर्गे मोबाईल की दुकान व रॉकी मोबाईल्स की दुकान में चोरी करने के आशय से रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार व रात्रि गृह भेदन कर उक्त दुकानों के कब्जाधारी/परिवादी की सहमति के बिना मोबाईल, रिचार्ज कूपन, मेमोरी कार्ड, चार्जर, बैटरी व नगद 3500/– रूपये इत्यादि बेईमानी से सहमति के बिना चुराये, उक्त दुकानें मानव निवास या संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आती है ?

यदि हां, तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जावे ?''

14. उक्त विचारणीय बिंदू के परिप्रेक्ष्य में यदि पत्रावली का अध्ययन किया जावे तो दर्शित होता है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 पुलिस को दिये जाने पर प्राथमिकी पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। इस तहरीरी रिपोर्ट में दो दुकानें – जयदुर्गे मोबाईल स्टोर एवं रॉकी मोबाईल से दिनांक 20.09.2015 को मोबाईल चोरी होने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रथम दुकान का मालिक चंद्रमोहन

पी.ड. 03 था एवं द्वितीय दुकान का मालिक उमेश कुमार पी.ड. 08 है। यदि इन दोनों ही गवाहों के बयानों का अध्ययन किया जावे तो इन गवाहों ने प्रदर्श पी 02 की ताईद करते हुए ही व्यक्त दिनांक को स्वयं के मोबाईल दुकान से मोबाईल सेट चोरी होना व्यक्त किया है। परंतु इन दोनों ही गवाहों के बयानों से स्पष्ट होता है कि उन्हें चोरी हो जाने के बाद में ही सूचना मिली थी। इसी संबंध में पी.ड. 04 को भी परीक्षित करवाया गया है, जिसके बयानों से भी यही प्रकट होता है कि चोरी हो जाने के पश्चात् गांव वालों को चोरी के बारे में पता चला था, जिसकी सूचना चंद्रमोहन पी.ड. 03 एवं उमेश कुमार पी.ड. 08 को दी गई थी।

15. अतः चोरी करते हुए किसी भी गवाह द्वारा अभियुक्तगण को प्रत्यक्षतः नहीं देखा गया। ऐसे में सम्पूर्ण प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। साथ ही यह भी देखना आवश्यक है कि अभियुक्त मौसमदीन को अभियुक्त के रूप में संयोजित किये जाने का आधार उससे ''मोबाईल सेट विडियोकोन'' बरामद होना बताया गया है, जिसकी फर्द बरामदगी बतौर प्रदर्श पी 14 प्रदर्शित करवाई गई है। ऐसे में अभियुक्त मौसमदीन की संलिप्तता के संबंध में फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 14 सबसे महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य है।

16. इस परिप्रेक्ष्य में यदि पत्रावली का अध्ययन किया जावे तो अभियोजन द्वारा गवाह पी.ड. 07 एवं पी.ड. 13 के बयानों के आधार पर यह व्यक्त किया है कि दिनांक 07.10.2015 को अनुसंधान के दौरान मौसमदीन को गिरफ्तार किया गया था एवं उसी दिनांक को अभियुक्त मौसमदीन के कब्जे से विडियोकोन मोबाईल जरिये फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 14 बरामद किया गया था। बरामद किये जाने वाले स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 15 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। परंतु यह गौरतलब है कि इन दोनों ही गवाहों द्वारा यह व्यक्त नहीं किया गया है कि बरामदगीस्थल के संबंध में सूचना अभियुक्त मौसमदीन द्वारा ही दी गई। साथ ही अभियोजन द्वारा अभियुक्त मौसमदीन द्वारा दी गई प्रासंगिक धारा 27, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला को भी प्रदर्शित नहीं करवाया गया है।

17. चूंकि हस्तगत प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, ऐसे में अभियोजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साक्षी अनुसंधान अधिकारी था। परंतु अनुसंधान अधिकारी के बयान विचारण के दौरान लेखबद्ध ही नहीं कराये गये हैं, ऐसे में क्या

अभियुक्त द्वारा ही धारा 27, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ईत्तला दी गई थी एवं किस प्रकार की सूचना दी गई थी एवं क्या इसी सूचना के अनुक्रम में अभियुक्तगण से बरामदशुदा वस्तु बरामद की गई थी, यह सभी बिंदूओं को अभियोजन द्वारा संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है।

18. एक बार के लिए यदि यह मान भी लिया जावे कि अभियुक्त मौसमदीन से फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 14 में अंकित मोबाईल सेट विडियोकोन बरामद हुआ भी था, तब भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता है कि यह मोबाईल उन्हीं मोबाईल में शामिल था, जो घटना की दिनांक को चुराई गई थी। इस संबंध में यदि प्रदर्श पी 02 का अध्ययन किया जावे तो इस तहरीरी रिपोर्ट में मोबाईल की आईएमईआई संख्या अथवा अन्य कोई विशिष्टि अंकित नहीं की गई है एवं केवल मात्र कंपनी का नाम ही अंकित किया है। केवल मात्र सामान्यता उपलब्ध कंपनी का मोबाईल अभियुक्त से बरामद होने से यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि यह बरामदशुदा मोबाईल चोरीशुदा मोबाईल ही था। विशेषकर तब जबकि मौसमदीन से केवल मात्र एक ही मोबाईल बरामद हुआ, जबकि चोरीशुदा मोबाईलों की संख्या 200 से अधिक था। यदि विडियोकोन कंपनी से संबंधित मोबाईल के परिप्रेक्ष्य में आरोप–पत्र का अध्ययन किया भी जावे तो इन मोबाईल की संख्या भी कुल 19 होना बताई है। ऐसे में केवल मात्र एक ''विडियोकोन'' का मोबाईल अभियुक्त मौसमदीन से बरामद हो जाने से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि सभी मोबाईल को अभियुक्त मौसमदीन द्वारा ही चुराया गया था।

19. हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान के दौरान यह अतिआवश्यक था कि मौसमदीन से बरामदशुदा मोबाईल की पहचान परिवादी से करवाई जाती, जिससे यह सिद्ध हो पाता कि बरामदशुदा मोबाईल चोरी किया हुआ ही था। ऐसे में स्पष्ट रूप से परिस्थितियों की ऐसी अटूट श्रृंखला नहीं बनती है, जिससे आरोपित अपराध को अभियुक्त मौसमदीन से जोड़ा जा सके।

20. यदि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षीगण के बयानों का अध्ययन किया जावे तो पी.ड. 01, पी.ड. 02 एवं पी.ड. 10 को नक्शेमौके के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिनके बयान औपचारिक प्रकृति के है। गवाह पी.ड. 05

को नक्शामौका प्रदर्श पी 05 एवं प्रदर्श पी 06 के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। गौरतलब है कि इन दोनों ही नक्शों में दर्शित स्थान पूर्व से ही अनुसंधान अधिकारी के ज्ञान में थे। ऐसे में नक्शामौका प्रदर्श पी 05 एवं 06 से अनुसंधान अधिकारी को कोई नवीन जानकारी प्राप्त नहीं हुई एवं यह नक्शामौका भी धारा 27, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आलोक में प्रासंगिक नहीं रह जाते हैं। अभियोजन साक्षी पी.ड. 06, पी.ड. 09, पी.ड. 11 व पी.ड. 12 मुख्यतः अजरूददीन से की गई बरामदगी एवं तस्दीक घटनास्थल से संबंधित साक्षी है, जिनके बयान अभियुक्त मौसमदीन की हद तक अति प्रासंगिक नहीं है।

21. इसी प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षीगण पी.ड. 13 एवं पी.ड. 14 भी शेष मुलजिमान याद मोहम्मद की हद तक ही प्रासंगिक साक्षी है एवं अभियुक्त मौसमदीन की संलिप्तता बावत् न्यायालय को सहायता प्रदान नहीं करते हैं।

22. इस प्रकार यदि पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त साक्ष्य का समग्रतापूर्वक अवलोकन किया जावे तो दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा प्रासंगिक अनुसंधान अधिकारी के बयान लेखबद्ध नहीं कराये जाकर प्रकरण को वांछित सुदृढ़ता प्रदान नहीं की है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त मौसमदीन से की गई बरामदगी उसके विरूद्ध अपराध प्रमाणित करने का एक मात्र एवं सबसे सुदृढ़ साक्ष्य है। परंतु इस संबंध में अभियोजन द्वारा धारा 27, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, ना ही अभियुक्त मौसमदीन से बरामदशुदा मोबाईल की पहचान परिवादी से करवाई गई है। ऐसे में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि अभियुक्त मौसमदीन से बरामदशुदा मौबाईल वास्तव में वहीं मोबाईल था, जो दिनांक 20.09.2015 की रात को चुराया गया था।

23. दाण्डिक प्रक्रिया का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त को तभी दोषसिद्ध किया जा सकता है, जब अभियोजन की ओर से आरोपित अपराधों को संदेह से परे प्रमाणित कर दिया जाए, परंतु उपरोक्त विवेचना से यह दर्शित होता है कि अभियोजन इस दायित्व का सम्यक रूप से निर्वहन करने में असफल रहा है। ऐसे में हाजा न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त इस संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अभियुक्त मौसमदीन को आरोपित अपराध अंतर्गत

धारा 457, 380, भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

–:: आदेश ::–

24. अतः अभियुक्त मौसमदीन पुत्र श्री आसीन मेव निवासी घैर बसई थाना तिजारा, जिला खैरथल–तिजारा को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 457, 380, भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

25. प्रकरण में अन्य अभियुक्त हामिद उर्फ हमदुल्ली पुत्र सुलतान निवासी हुसैनपुर जिला नूंह मेवात, हरियाणा की मृत्यु होने से उसके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही दिनांक 16.01.2018 को ड्रॉप की गई।

26. प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण सुब्बा उर्फ सुबेदार उर्फ पड्डा एवं अजरूदीन उर्फ अज्जु को क्रमशः दिनांक 13.04.2016 एवं 18.09.2019 तथा अभियुक्तगण आरिफ उर्फ छोटल्ली, याद मोहम्मद उर्फ यादु एवं मुब्बी उर्फ मुबारिक 13.04.2026 को मफरूर घोषित किया गया है। **अतः पत्रावली के सरबरक, अंतिम आदेशिका एवं आरोप पत्र पर पत्रावली महफूज रखी जाने का लाल नोट अंकित किया जावे।**

27. अभियुक्त मौसमदीन द्वारा न्यायालय में धारा 437ए, दण्ड प्रक्रिया संहिता के जमानत मुचलके प्रस्तुत किये जा चुके हैं, अतः अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बावत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(सुयश)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा

28. निर्णय आज दिनांक 18.06.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुयश)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा

निर्णय में किए गए संशोधन को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।
आशुलिपिक

नोटः— यह प्रतिलिपि प्रार्थी / अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्य प्रति न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है